न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 114/2024

GCMS No. : 2023/254

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		गोरधनसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत निवासी अन्दोर तहसील शिवगंज जिला सिरोही, मैसर्स रिलायंस स्मार्ट पॉइन्ट जोधपुर रोड मिलगेट पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 52

उपस्थित :–

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुनिल विजयवर्गीय।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक : 22/10/24

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 09.03.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स रिलायंस स्मार्ट पॉइन्ट जोधपुर रोड मिलगेट पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम गोरधनसिंह बताया एवं स्वंय को मॉल का मैनेजर होना बताया। मॉल के निरीक्षण के दौरान 10–15 पैकेट 500 एमएल घी (ब्राण्ड कृष्णा) रखा हुआ था। जिसे अप्रार्थी ने आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने 500 एमएल घी (ब्राण्ड कृष्णा) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नही होने कि स्थिति में मेरे साथ आये कम्प्युटर ऑपरेटर ओम प्रकाश कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अप्रार्थी को बता दिया की 500 एमएल घी (ब्राण्ड कृष्णा) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में चार पैकेट 500 एमएल घी (ब्राण्ड कृष्णा) वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 1260/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा 500 एमएल घी (ब्राण्ड कृष्णा) को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1683 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया 500 एमएल घी (ब्राण्ड कृष्णा) का नमुना संख्या आर–1683 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/469/एक्ट/2023/513 दिनांक 17.3.2023 के अनुसार Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसकी सुचना अप्रार्थी को जरिये रजि. डाक से प्रेषित कर दी गई है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

अप्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी उक्त मॉल में एक मैनेजर के पद पर कार्यरत था जो वर्तमान में मॉल में कार्य नहीं कर रहा है, उसके स्थान पर वर्तमान में भानुप्रताप सिंह मेनेजर के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी द्वारा उक्त मॉल से लिया गया 500 एमएल घी (ब्राण्ड कृष्णा) का नमुना का उत्पादन अप्रार्थी की फर्म द्वारा नहीं किया जाता है, अप्रार्थी द्वारा थोक विक्रेता से जिस अवस्था में खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है उसके पैकेजिंग या लेबलिंग में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जाता है, ऐसे में अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है। अधिकृता विक्रेता से 500 एमएल घी (ब्राण्ड कृष्णा) का खरीद बिल खो जाने से पेश करने में असमर्थ हुं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र खारिज फरमावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.03.2023 को रिलायंस स्मार्ट पोइन्ट जोधपुर रोड मिल गेट से 500 एमएल घी (ब्राण्ड कृष्णा) वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1683 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी के मॉल से वास्ते जांच लिये गये 500 एमएल घी (ब्राण्ड कृष्णा) का नमुना कोड संख्या आर–1683 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी के मॉल से लिया गया 500 एमएल घी (ब्राण्ड कृष्णा) का नमुना Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घी (ब्राण्ड कृष्णा) की सैम्पलिंग के दौरान थोक विक्रेता/उत्पादक से खरीद बिल पेश नहीं किये गये और न ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस खरीद बिल पेश किये गये है। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाल जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन में पाया कि घी (ब्राण्ड कृष्णा) की पैकिंग पर पैकेट में स्थित पदार्थ के बारे में किसी प्रकार का विवरण अंकन नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) 2011 की धारा 5(3)(b) का उल्लंघन है तथा उक्त नमुना Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) उत्पादन का विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) 500 एमएल घी (ब्राण्ड कृष्णा) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 2,00,000/– अक्षरे दो लाख रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली